

विज्ञप्तिविषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के नियम -12बी(20) एवं 25बी (12) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एवं उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा 81 को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यापारियों से उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित फार्म मिसिंग की सूचना प्राप्त हुई है। अतः इन फार्मों का प्रयोग अवैध होगा :-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	सर्वश्री शिव ट्रेडिंग कम्पनी सेमरा चौराहा, हरदोई	फार्म-3 ग (1) संख्या- 438382 से 438384 तक	खोने के कारण	03
2-	सर्वश्री श्री दुर्गा उद्योग खटेला (महोबा)	फार्म-3 ग (1) संख्या- 026390	कहीं गिर गया है।	01
3-	सर्वश्री एरो डवलपर्स प्रा०लि० एफ-2,3 सेक्टर-18, नोएडा।	फार्म-3 क संख्या- 54522 से 54549 तक	खोने के कारण	28
4-	सर्वश्री अम्बे ट्रेडर्स, गल्ला व्यापारी, मऊ रानीपुर, झाँसी	फार्म- 3 ग (1)संख्या- 197354, 197362, 197388, 197400, 197403, 197408, 197410, 197413, 197411, 197421, 197423, 197428, 197431, 197440, 197445, 135401, 135404, 135413, 135416, 135421, 135424, 136343, 136353, 136355, 136358, 136366, 136371, 136388, 136397, 136400, 136405, 136426, 136433, 136440,112171, 112173, 112175, 112180, 112181, 112185, 112191, 112193 एवं 112197	खो / गिर जाने के कारण	43
5-	में० नन्द किशोर छक्कीलाल, गल्ला व्यापारी, 13-बी, नवीन मण्डी, मऊ रानीपुर, झाँसी	फार्म-3 ग(1) संख्या- 197275, 197280, 136243, 136265, 136269, 136293, 149451, 149541 एवं 140428	खोने / चोरी होने / गिर जाने के कारण	09

ह०/

(डा०आर०के०सिंह)

एडीशनल कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० एव दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।

- 4- महालेखाकार, उ0प्र0 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 5- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 6- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0 नु0शा0/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 8- समस्त डिप्टी कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 9- ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ ।
- 10- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों ।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 12- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
- 13- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

ह0/

(सुशील कुमार दुबे)

असिस्टेन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय ।